बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना (पशुपालन)
कार्यालय, जिला पदाधिकारी, जहानाबाद
निविदा सूचना संख्या–01 / वर्ष 2017–18

वित्तीय वर्ष 2017–18 में आपदा (बाढ़–सुखाड़) पुर्वानुमान के आलोक में जहानाबाद जिलान्तर्गत बाढ़–सुखाड़ प्रभावित जहानाबाद जिलान्तर्गत सभी प्रखण्डों में पशुओं को चारा की आपूर्ति हेतु इच्छूक फर्म / प्रतिष्ठान एवं आपूर्तिकर्त्ताओं से दर / आपूर्तिकर्त्ता के निर्धारण के लिए मुहरबंद निविदा– आमंत्रित की जाती है। निविदाकर्त्ता अपनी निविदा निबंधित डाक, स्पीड पोस्ट अथवा कुरियर के माध्यम से जिला पशुपालन कार्यालय, जहानाबाद (पिन कोड–884408) के पते पर भेज सकेंगे, या सीधे उक्त कार्यालय में हाथो–हाथ जमा कर सकते है। दिनांक 27 जून 2017 के अपराह्न 4 बजे तक भौतिक रूप से उपलब्ध निविदाओं पर ही विचार किया जाएगा। निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस को पूर्वाह्न 11:30 बजे जिला पदाधिकारी महोदय, जहानाबाद के सभा कक्ष में जिला स्तर पर गठित क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

सामाग्रियों का विवरण

क्र0	पशु चारा का नाम	गुणवत्ता	विवरणी	पशुचारा की मात्रा
1	2	3	4	5
1.	पुआल की कुट्टी	उत्तम किस्म	प्रति क्विंटल	आवश्यकतानुसार
2.	गेंहूँ का भूसा	उत्तम किस्म	प्रति क्विंटल	आवश्यकतानुसार

निविदा की शर्ते :–

1. सुखा चारा का दर तथा आपूर्तिकर्ता का निर्धारण सीलबन्द द्विलिफाफा पद्धति के आधार पर किया जायेगा। अलग–अलग सीलबन्द लिफाफा में तकनीकि निविदा तथा वित्तीय निविदा अंकित कर एक बड़े सीलबन्द लिफाफा में प्रस्तुत करना होगा, जिस पर जिला पशुपालन पदाधिकारी, जहानाबाद निविदा हेतु लिखित होना चाहिए।
2. तकनीकी निविदा में योग्य पाये जाने वाले निविदा दाताओं का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा।

तकनिकी निविदा के शर्ते :–

3. निविदा के साथ अग्रधन राशि के रूप में निविदादाता को रू0 2000/– (रू0 दो हजार रूपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जिला पशुपालन पदाधिकारी, जहानाबाद के पदनाम से देय होगा। तथा भारतीय स्टेट बैंक, जहानाबाद के नाम पर भुगतेय होगा।
4. असफल निविदाता का अग्रधन की राशि उनके अनुरोध पर लौटा दी जाएगी। जबकि सफल निविदादाता के अग्रधन की राशि उनके द्वारा संतोष जनक चारा आपूर्ति तक रोक रखी जाएगी। अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद देय नहीं होगा।
5. निविदा के साथ आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन कार्ड (PAN CARD) एवं आधार कार्ड / वोटर आई. डी.कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति देना होगा।

6. निविदादाता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सुखा चारा का 200 ग्राम का नमूना के रूप में जो पारदर्शी प्लास्टिक के थैले में मुहर बन्द हो एवं उस पर नाम पता तथा मोबाईल नं0 अंकित कर निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है। चारा फंगस रहित, नमी अधिकत्तम 3% स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण होना आवश्यक है।
7. आपूर्ति की जानी वाली सुखा चारा निविदा के साथ जमा किये गये नमूना के अनुरूप नहीं होने पर आपूर्ति नहीं ली जायेगी।
8. तकनिकी निविदा के साथ निविदा में दिये गये सभी शर्त मान्य होने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
9. निविदादाता को इस आशय का शपथ–पत्र दायर करना होगा कि वे किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थान द्वारा बिहार अथवा अन्य राज्यों द्वारा काली सूची में दर्ज न हों।

<u>वित्तीय निविदा :–</u>

1. निविदादाताओं मे से स्वीकृत निविदादाता को एकरारनामा करना होगा कि आपूर्ति आदेश मिलने के एक सप्ताह के अन्दर स्वीकृत नमूना के अनुरूप चारे की आपूर्ति निश्चित रूप से कर देंगे। एक सप्ताह के अन्दर आपूर्ति नहीं होने पर आपूर्ति आदेश रद्द करते हुए अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी तथा कानून सम्मत कार्रवाई की जायेगी। चारा आपूर्ति की सूचना न्यूनतम एक दिन पूर्व जिला पशुपालन पदाधिकारी को देनी होगी। आकस्मिक आपदा होने पर अविलम्ब चारे की आपूर्ति सुनिश्चित करना होगा।
2. एक से अधिक निविदादाताओं को एक ही दर स्वीकृत होने पर संबंधित पदाधिकारी द्वारा किसी निविदाकर्त्ता/आपूर्तिकर्त्ता को आपूर्ति आदेश देने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में एक से अधिक आपूर्तिकर्त्ताओं को भी आपूर्ति आदेश दिया जा सकेंगा।
3. निविदा समिति को बिना कारण बतायें निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
4. निविदा से संबंधित किसी भी वाद का निपटारा जहानाबाद स्थित न्यायालय के अधिन होगा।
5. निविदा सूचना को वेबसाईट www.ahd.bih.nic.in/www.jehanabad.bih.nic.in/www.Prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।
6. जहानाबाद जिलान्तर्गत किसी भी प्रखण्ड के राहत शिविर तक चारा पहुँचाकर, तौलवाकर एवं रखवाकर प्रति क्वींटल गेंहूँ भूसा एवं पुआल कुट्टी का दर अलग–अलग अंकित करना अनिवार्य है। इसके लिए अलग से परिवहन व्यय एवं अन्य व्यय देय नहीं होगा।

15/8/17

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।